न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 141/2011
जीएसएम नं. 2011/00367

दर्ज दिनांक–05.09.2011

1. ओमप्रकाश पुत्र मुखराम
2. बनवारीलाल पुत्र लालचन्द (फौत)
   2/1 श्रीराम पुत्र बनवारीलाल
   2/2 शीशराम पुत्र बनवारीलाल
   2/3 पंकज कुमार पुत्र बनवारीलाल
   2/4 संतोष देवी पत्नी बनवारीलाल
   2/5 सुभिता पुत्री बनवारीलाल समस्त जाति जाट निवासी कसेरू,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

– आवेदक

बनाम

1. रणजीत सिंह पुत्र भंवर सिंह
2. शिवबाई पत्नी भंवरसिंह (फ़ौत नाम वाद पत्र से हजफ दिनांक 8/4/2022)
   जाति राजपूत, निवासीगण कसेरू तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री विप्लव पण्डित
वकील अनावेदक 1 :– श्री इकरार अली

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधज्ञा
अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 13.06.2024

आवेदक द्वारा प्रा0 पत्र बाबत् अस्थाई निषेधज्ञा अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस कदर पेश किया कि, एक वाद उनवानी ओमप्रकाश वगै0 बनाम हरीराम वगै0बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश किया है जिसमें आवेदकगण को पूरी पूरी सफलता मिलने की सम्भावना है।

ग्राम कसेरू की सरहद में स्थित भूमि पुराने खसरा नं. 29/2,36,37,38 तादादी 11 बीघा 11 विश्वा पुख्ता स्थित थी जो अनावेदकगण के पिता व पति भंवर सिंह पुत्र विगत सिंह की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। इसी प्रकार पुराने खसरा नं. 29/1 तादादी 12 बीघा 11 विश्वा पुख्ता रामकुमार सिंह पुत्र श्री उज्जैन सिंह जाति राजपूत निवासी कसेरू की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। जिसके भू प्रबन्धक विभाग के दोरान नए खसरा नं. 49 रकबा 3.85 है, खसरा नं. 50 रकबा 3.06 है0 कुल रकबा 6.91 है0 पडे है। उक्त भूमि मे आवेदकगण व प्रतिवादीगण 1 सें 4 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है और काबिज व आबाद है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा का पेश किया है।

प्रा. पत्र कि धारा 2 में वर्णित भूमि को विक्रय किया जाकर विक्रय पत्र निम्न प्रकार से तस्दीक करवाए गये है जो इस प्रकार से है:–

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned with CamScanner

(क) यह कि रामकुमार सिह पुत्र उज्जैन सिह ने अपनी खातेदारी की भूमि पुराने खसरा नं. 29/1 में से 8 बीघा 18 विश्वा पुख्ता भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 01/05/1972 को आवेदक ओमप्रकाश व प्रतिवादी सं. 1 हरिराम के पक्ष में तस्दीक करवाया था और दूसरा विक्रय पत्र 2 बीघा 14 विश्वा पुख्ता भूमि का दिनांक 02/06/1975 को आवेदक नं. 2 बनवारीलाल के पक्ष में तस्दीक करवाया था जिस पर क्रय अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 काबिज व आबाद हो गए थे और काश्त करते है।

(ख) यह कि अनावेदकगण के पिता व पति भंवर सिंह ने अपनी खातेदारी की भूमि में से 4 बीघा 9 विश्वा पुख्ता भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 27.5.1976 को आवेदक सं. 2 व प्रतिवादी सं. 1 के पिता लालचन्द व प्रतिवादी सं. 2 मुखराम के पक्ष में तस्दीक करवाया था जिस पर आवेदक सं. 2 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 काबिज व आबाद हो गए थे और कास्त कर रहे हें

इस प्रकार उक्त भूमि में से आवेदक व प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 ने खातेदार काश्तकार को प्रतिफल राशि का भुगतान करके भूमि क्रय की है और विधि अनुसार अपने पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय में विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर विक्रीत भूमि पर कब्जा प्राप्त किया है। जब से आवेदकगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने अपने पक्ष में विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है तब से ही क्रयशुद्वा भूमि पर बतौर स्वामी काश्त करते आ रहे है। लेकिन रामकुमार सिह , द्वारा दिनांक 01/05/1972 व दिनांक 02/06/1975 को तस्दीक करवाये गये विक्रय पत्रों के अनुसार आवेदकगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम विक्रीत भूमि की खातेदारी दर्ज नही हुई है और भंवर सिंह द्वार दिनांक 27/05/1976 को तस्दीक करवाए गए विक्रय पत्र के अनुसार विक्रीत भूमि खसरा नं. 37,38 के नए खसरा नं. 49,50 दोनो मे दर्ज नही होकर गलती से एक नये खसरा नं. 49 में हिस्सा दर्ज कर दिया और शेष हिस्सा भी गलती से भंवर सिंह के वारिसान अनावेदकगण के नाम दर्ज कर दिया।इस कारण उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज हो रहा है। उक्त विक्रय पत्रों के अनुसार पुराने खसरा नं. 29/01,29/02,36,37,38 जिसके नए खसरा नं. 49रकबा 3.85 है0 सम्पूर्ण व खसरा नं. 50 रकबा 3.06 है0 में से रकबा 0.17 है0 कुल रकबा 4.02 है0 भूमि में से आवेदक ओमप्रकाश को रकबा 1.11 है0 भूमि का व लालचन्द के वारिसान आवेदक सं. 2 व प्रतिवादी सं. 1 को रकबा 2.35 है0 एंव प्रतिवादी सं2 को रकबा 0.56 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा नए खसरा नं. 49 से अनावेदकगण का नाम हजफ किया जाकर भूमि नए खसरा नं. 50 रकबा 2.89है0 की खातेदारी अनावेदक के नाम दर्ज की जावे। इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा का पेश किया जा रहा है। उक्त भूमि को विधि विरूद्व कार्यवाही करके गलत राजस्व रिकार्ड की आड में विक्रय कर देंगे तो आवेदकगण अपने हक अधिकार की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगे। जिसका अनावेदकगण को कोई कानूनी हक अधिकार नही है। प्रा. पत्र में वर्णित भूमि के गलत राजस्व रिकार्ड की आड में खुर्द–बुर्द कर दिया जायेगा और आवेदक के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में अवरोध पैदा कर दिया जायेगा तो आवेदकगण को मुकदमें बाजी में फसना पडेगा। जिससे आवेदकगण को अपार क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा का सन्तुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है।

अतः प्रा. पत्र अस्थाई निषेधज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि,तादौराने दावा अनावेदकगण को इस आशय के अस्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जावें कि खसरा नं. 29/01,29/2,36,37,38 कुल तादादी 24 बीघा 2 विश्वा पुख्ता जिसके नये खसरा नं. 49 रकबा 3.85 है0, खसरा नं. 50 रकबा 3.06 है0 भूमि में आवेदकगण को अपने हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा पैदा नही करे। ना ही आवेदकगण को बेदखल करके उक्त भूमि के गलत राजस्व रिकार्ड की आड में किसी भी प्रकार का कोई विक्रय पत्र व अन्य किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसफर दस्तावेज तस्दीक नही करवावे। रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

प्रा.पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक सं. 1 कि और से जरिये वकील जवाब प्रा. पत्र पेश निम्नानुसार पेश किया गया:-

यह है कि पुराने खसर नं. 36,37,38,43 की खातेदारी भंवरसिंह पुत्र बिगतसिंह के रही व खसरा नं. 29 की खातेदारी रामकुमार पुत्र उजैनसिंह कोम राजपूत के नाम दर्ज रही है। उक्त खसरा नं. सेटलमेन्ट से पूर्व ही संवत् 2018 से 2021 में सही रूप से जवाब देहन्दा के पिता के नाम से दर्ज की गई थी। जिससे आवेदकगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का कोई ताल्लूक नही है। आवेदकगण ने मनगढत रूप से भू-प्रबन्धक का नाम लिखा है। ऐसी हालत में प्रार्थना पत्र आवेदकगण गलत होने से प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है।

यह कथन बिलकुल झुठा है कि, जवाब देहन्दा के पिता भंवरसिंह ने अपनी खातेदारी काश्त की भूमि में से दिनांक 17.05.1976 को आवेदक सं. 2 व प्रतिवादी सं. 1 के पिता व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में कोई विक्रय पत्र तस्दीक करवाया हो। अगर ऐसा कोई तथाकथित दस्तावेज है तो वह फर्जी व कुटरचित है। यह कथन भी गलत है कि खसरा नं. 37,38 के नये खसरा नं. 49,50 दोनो में हिस्सा दर्ज नही होकर गलती से एक खसरा नं. 49 में दर्ज कर दिया । शेष हिस्सा भी गलती से भंवरसिंह के वारिसान अनावेदकगण सं. 1व 2 के नाम दर्ज कर दिया। जबकि सेटलमेन्ट संवत् 2043 मे हुआ और जवाब देहन्दा के पिता भंवरसिंह की मृत्यु होने पर फौतगी इन्तकाल ही संवत् 2062 से 2065 में दर्ज हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण का हय कथन बिलकुल गलत व निराधार है कि शेष हिस्सा भी गलती से भंवरसिंह के नाम वारीसान अनावेदकगण सं. 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया हो। इस पैरा में अनावेदकगण ने पुराना व नया खसरा नं. मिलान कर कोई रकबा अंकित नही किया है, केवल मात्र मनमर्जी से आवेदकगण को भूमि दे दी जावे, प्रतिवदीगण को भूमि दे दी जावें। दावा अस्पष्ट व बिना किसी आधार के होने के कारण प्रथम दृष्ट्या खारीज योग्य है। आवेदकगण का न तो कोई सुविधा का सन्तुलन है तथा न ही प्रथम दृष्ट्या कोई मामला बनाता है। आवेदकगण का दावा ही अस्पष्ट व गलत है। आवेदकगण को यही पता नही कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड सही या पूर्व का रिकार्ड सही है। ऐसी हालत में प्रार्थना पत्र आवेदकगण प्रथम दृष्ट्या खारीज योग्य है।

प्रा. पत्र में वर्णित वर्तमान खसरा नं. 49 के पुराना नम्बरान 29,37,38 है। खसरा नं. पुराना 37 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा , खसरा नं. 38 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी जवाब देहन्दा के पिता भंवरसिंह के नाम से दर्ज शुद्वा थी। खसरा नं. पुराना 37 का कुछ भाग वर्तमान ख.नं. 50 में दर्ज हुआ है जो मिलान क्षेत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 से स्पष्ट है। उसी के अनुसार आधार वर्ष संवत् 2043 की जमाबन्दी अनुसार जवाब देहन्दा के पिता भंवरसिंह के नाम 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जो वर्तमान रिकॉर्ड तक बदस्तुर दर्ज शुद्धा चली आ रही है। उक्त भूमि पर जवाब देहन्दा काबिज काश्त है। आवेदकगण ने अपने प्रा. पत्र में जवाब देहन्दा के पिता द्वारा 4 बिघा 9 बिस्वा भूमि विक्रय करना अंकित किया है, अगर यह कुछ देर के लिये मान भी लिया जावें तो भी जवाब देहन्दा की भूमि खसरा नं. 49 में 2 बिघा 13 बिस्वा पुख्ता शेष बचती है। जब वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 49 में ही भूमि शेष बचती है तो खसरा नं. 50 मे से 0.17 है० भूमि आवेदकगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को दिया जाना किस आधार पर सम्भव है। आवेदक का दावा चलने योग्य नही है इसलिये खारीज किया जावे।

प्रा० पत्र पर जवाब प्राप्त होने पर वकील आवेदक द्वारा बहस प्रा. पत्र लिखित रूप से पेश कि गई तथा निम्नानुसार न्यायींक दृष्टान्तों का हवाला दिया गया तथा कथन किया गया कि, प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा विक्रय पत्र प्रार्थीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम निष्पादित है रिकॉर्ड गलत रूप से गलत बना हुआ है राधेश्याम बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य पेज नं. 206 में प्रतिपातिदत किया

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनूं)

Scanned with CamScanner

गया है कि in the case of a dispute amongst members of the family even a recoreded khatedar can be restrained from selling or otherwise disposing of the land so that unnesessary litigation can be avoided (पैरा 9)

An order of maintaining status Quo in regard to possession should be passed only after coming to a definite conclusion regarding possession on the date of order (पैरा 10)

काना बनाम सुखपाल व अन्य आर.आर.डी. 1993 पेज नं. 243,244 में न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश पारित किया जाना उचित माना है तथा शंकरलाल बनाम कैलाश आर.आर.डी. 2002 पेज नं. 744 में भी न्यायालय ने यथा स्थिति के आदेश जारी किया जाना उचित माना है। आर.एल.डब्लू. 2011(1) पेज 399 राजस्थान मोहम्मद सदीक व अन्य बनाम आबिदा व अन्य के मामले मे राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच ने प्रतिपादित किया है कि जहाँ विवादित प्रश्न है कि कौनसा पक्षकार काबिज है, विचारक न्यायालय के समक्ष एक मात्र विकल्प यह निर्देश देने का है कि यथास्थति बनाई रखी जावे। डी.एन.जे. राजस्थान 2016 (2) पेज 945 सुताराम बनाम हरिराम के मामले मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय निम्नानुसार प्रतिपादित किया है. Teporary injection Application of both the parites have based their claim of the basis of patta. trial court helf that it could not be detiemined that who was in possession of the property and directed the parties to maintained the status Quo highcourt held orders arejust and proper and interference declined.

सिविल कोर्ट केसेज 2015 (2) पेज 427 राजस्थान सिराजुदीन उर्फ वजीर मियां बनाम अब्दुल गफार व अन्द के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिपातिद किया है कि. Ownership and possession a disputed question of fest question of feat can only be decided after parties lead their evidence order of status quo upheld.

R.R.D. 1979 page 1 keria v/s sawalia के मामले मे प्रतिपादित उद्वरण AIR 1966 page 115 और 1438 में माननीय उच्चतम न्यायालय, RLW 2004 page 109, CRD 2015 (3) page 1319 के मामले मे राजस्थान उच्च न्यायालय इत्यादी बतौर नजीर पेश किये।

बहस उभय पक्ष पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा प्रा0 पत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये प्रा0 पत्र स्वीकार किये जाकर अस्थाई निषेधज्ञा को तादौराने वाद कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया तथा अपने कथनो के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल के अपील सं. 17/सवाई माधोपुर निर्णय दिनाक 27/10/1978 उनवानी केरिया बनाम सावलियां अपील नं. 46,47/भीलवाडा निर्णय दिनांक 14/08/1978 उनवानी माधो बनाम नन्दलाल, नत्थू बनाम मदनलाल बतौर नजीर पेश किये। वकील अनावेदक द्वारा वकील आवेदक के कथनों का विरोध करते हुये जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तथा अपने कथनों के समर्थन मे दस्तवेज मय सूची पेश किये तथा कथन किया कि. प्रा पत्र में ख.नं. 77 के खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है और नही अपने वाद/प्रा. पत्र मे ख.नं. 77 के किन पुराने खसरा नं. से बना है का जिक्र किया है। अनावेदकगण को करीब 10 वर्षों से अस्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द कर रखा है जिसके कारण अनावेदकगण अपनी कृषि भूमि पर आधुनिक तरह से कृषि व विकास नही कर पा रहे है, न ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहे है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वात के विपरित है, इसलिये प्रा0 पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

विद्वाना वकुलान द्वारा प्रस्तुत नजीरों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों कि रोशनी मे, बहस पर मनन किया गया। यह प्रकरण ग्राम कसेरू कि विवादित भूमि ख.नं. 29/1, 29/2, 36,37,38 कुल तादादी 24 बीघा 2 बिस्वा पुख्ता के नये ख.नं. 49 रकबा 3.85 है0, ख.नं. 50 रकबा 3.06 है0 भूमि में आवेदकगण को अपने हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे कोई बाधा पैदा नही करे, आवेदक को बेदखल करके गलत राजस्व रिकार्ड की आड में किसी भी प्रकार का कोई विक्रय पत्र व अन्य किसी भी प्रकार का ट्रांसफर दस्तावेज तस्दीक नही करने, रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे इत्यादी अनुतोष को लेकर पेश किया गया है। प्रकरण में आदेशिका दिनांक 05.09.2022 से अन्तरिम अस्थाई निषेधज्ञा के आदेश किये गये है। इस प्रा. पत्र से सम्बन्धित मूल वाद घोषणार्थ,दुरूस्त करवाने रिकार्ड एंव स्थाई निषेधज्ञा का पेश है जो दिनांक 05.09.2011 से दर्ज होकर वर्तमान मे शहादत वादी पेश करने हेतु जेरकार है। आवेदकगण ने अपने प्रा. पत्र कि मद सं. 3 में आवेदकगण व प्रतिवादी सं. 1 ने रामकुमार पुत्र उजेन सिंह से भूमि कय करना बताया है। जबकी ख.नं. 77 में उनका हिस्सा दर्ज है। आवेदकगण उठाये गये उक्त तथ्यों को दौराने बहस साबित नही कर पाये है। जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त अस्थाई निषेधज्ञा का प्रा. पत्र प्रथम दृष्ट्या मामला नही बनता है, और प्रथम दृष्ट्या मामला नही होने से सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति का भी मामला नही बनता है। विद्वान वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत नजीरे उक्त मामले मे पूर्ण रूप से चस्पा नही होती है।

लिहाजा यह न्यायालय विद्वान वकील अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दलिलों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से इत्तिफाक रखते हुये प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 05/09/2011 को तत्काल प्रभाव से वेंकट/निरस्त करते हुये, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधज्ञा का खारिज करता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा मूल वाद सं. 227/2011 के साथ नत्थी रहेगी। आदेश आज दिनांक 13.06.2024 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner